645

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(146)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 26 FEB 2013

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21.9.2011 एवं 29.11.2011 की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु।

राज्य सरकार द्वारा जन सुरक्षा एव जनहित को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 45, 282 व 337 राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104-ए, जयपुर विकास प्राधिकरण की धारा 85 सपठित राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 व राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरीय क्षेत्रों में स्थापित/स्थापित किए जाने वाले गैस गोदामों को स्थानान्तरित करने/भूमि आवंटन के संबंध में समसंख्यक आदेश दिनांक 21.09.2011 जारी किया गया था।

उक्त आदेश द्वारा नगरपालिका सीमाओं एवं विकास प्राधिकरण/न्यास के आबादी क्षेत्र में ऐसे गैस गोदाम जो ज्वलनशील गैस के निमित्त हो, की स्थापना के लिए अनुमति/अनापत्ति प्रदान नहीं की जावे। यदि ऐसे गैस गोदाम जो घनी आबादी में स्थापित हो गये हैं, उन्हें जनहित में घनी आबादी से अन्यत्र स्थानान्तरित (Shift) करने हेतु भी निर्देशित किया गया था। शहरी आबादी के मध्य ऐसे गोदामों को स्थापित करने की दृष्टि से निकाय द्वारा राज्य सरकार को अनुशंषा प्रेषित नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त आदेश की पालना कराए जाने हेतु समस्त नगरपालिका/प्राधिकरणों/न्यासों के क्षेत्र में स्थापित गैस गोदामों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने एवं यदि एक माह के भीतर ऐसे गोदामों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कार्यवाही नहीं की गयी तो संबंधित के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु पुनः विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2011 द्वारा निर्देशित किया गया था।

अतः उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई जावे एवं प्रगति से विभाग को भी अवगत कराया जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

(416)

Goyal Hemendra/UDH/Order/2013